26

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र.क. 672–चार/2004 विरूध्द आदेश दिनांक 24–5–2004 पारित –व्दारा– अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण कमांक – 297 अ 6/2000–2001 अपील

1– राकेश कुमार 2– राजेश कुमार
3– विदेश कुमार 4– ब्रिजेश कुमार
5– बलराम नावालिक पुत्र गंगाप्रसाद
6– श्रीमती द्रोपतीवाई पत्नि स्व.गंगाप्रसाद
सभी निवासी ग्राम द्वारी तहसील गुनौर
जिला पन्ना मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूध्द

1– गोविन्द्र प्रसाद (मृतक) पुत्र रामप्रसाद
वरिस
(1) नागेश्वर (2) कृष्णकुमार
(3) रामनरेश तीनों पुत्रगण मृतक गोविन्द्रप्रसाद
(4) सुश्री चैनवाई (5) सुश्री ममतावाई
(6) सुश्री मायावाई (7) सुश्री दुर्गेशकुमारी
सभी पुत्रियॉ मृतक गोविन्दप्रसाद
निवासीगण ग्राम अधराण तहसील शाहनगर
जिला पन्ना मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0एल0धाकड़

<u>आदेश</u>

(आज दिनांक 25.8. 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्र0क0 297 अ 6/2000–2001 अपील में पारित आदेश दि0 24–5–2004 के विरूद्व म. प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम द्वारी स्थित भूमि सर्वे कमांक

(signature)

861, 1008, 1012, 1013, 1015, 1016 कुल किता 6 कुल रकबा 1.99 हैक्टर के रामप्रसाद पुत्र राजधर भूमिस्वामी थे, इसी प्रकार इसी ग्राम की भूमि सर्वे कमांक 215, 848, 867, 932, 933, 1022, 1025, 1024, 1200, 1215, 2632 कुल किता 11 कुल रकबा 4.77 है. (आगे इन भूमियों को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) रामप्रसाद, गंगाप्रसाद एंव शिवप्रसाद पुत्रगण राजधर के नाम सामिलाती दर्ज थीं। रामप्रसाद की मृत्यु उपरांत ग्राम पंचायत व्दारा प्रस्ताव कमांक 9 दिनांक 28–7–96 से रामप्रसाद के नाम की भूमि पर गोविन्द प्रसाद का नाम दर्ज कर दिया।

नायव तहसीलदार अमानगंज ने अनुविभागीय अधिकारी, को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि खातेदार रामप्रसाद का गोविन्दप्रसाद रिस्ते में कुछ नहीं था तथा हितबद्व पक्षकारों को सूचना दिये बिना ग्राम पंचायत ने नामान्तरण किया है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 43 बी 121 / 98–99 में पारित आदेश दि. 5–6–99 से ग्राम पंचायत व्दारा किये गये नामान्तरण को अमान्य कर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार गुनौर ने हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई उपरांत प्र.क. 27 अ 6 / 99–2000 में पारित आदेश दि. 27–3–2000 से गोविन्दप्रसाद को मृतक रामप्रसाद का पुत्र होना मानकर वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील करने पर प्र.क. 25 अ 6 / 99–2000 में पारित आदेश दि. 5–12–2000 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दि. 27–3–2000 निरस्त किया तथा आवेदक कमांक 1 लगायत 5 का वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्र0क0 297 अ 6 / 2000–2001 अपील में पारित आदेश दि0 24–5–2004 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 5–12–2000 निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दि. 27–3–2000

को यथावत् रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने । अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत प्रस्तुत करने की मांग पर उन्हें दि. 19—8—14 तक समय दिया गया, किंतु लेखी तर्क प्रस्तुत नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 27—3—2000, अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के आदेश दिनांक 5—12—2000 एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दि0 24—5—2004 के अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण में मूल विवाद है कि मृतक खातेदार रामप्रसाद का गोविन्दप्रसाद पुत्र है अथवा नहीं है ? तहसीलदार एंव अपर आयुक्त व्दारा आदेशों में निष्कर्ष दिये हैं कि गोविन्दप्रसाद मृतक खातेदार रामप्रसाद की दूसरी पत्नि का पुत्र है जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दि. 5—12—2000 में निष्कर्ष दिया है कि गोविन्दप्रसाद मृतक खातेदार रामप्रसाद का पुत्र नहीं है जिसके कारण उसे मृतक रामप्रसाद की भूमि पर नामान्तरण कराने की पात्रता नहीं है। तहसीलदार गुनौर ने आदेश दि. 27—3—2000 में अंकित किया है कि रामप्रसाद की व्याहिता पत्नि सुदामावाई थी जो बिना ओलाद के मरी है। मृतक रामप्रसाद शासकीय सेवा में रहकर पटवारी पद पर रहा है और प्रकरण में यह तथ्य भी मौजूद है कि रामप्रसाद ने व्याहिता पत्नि सुदामावाई के मरने के वाद दूसरी शादी नहीं की। तहसीलदार के समक्ष गोबिन्दप्रसाद के संबंध में आये तथ्यों एंव अपर आयुक्त के समक्ष गोविन्द्रप्रसाद व्दारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों पर विचार करने से पाया गया कि मृतक रामप्रसाद की विवाहिता पत्नि श्रीमती सुदामावाई के अलावा गोविन्दप्रसाद की मॉ कौन थी एंव उसका क्या नाम रहा है — अभिलेख से परिलक्षित नहीं है। गोविन्दप्रसाद की ओर से प्रस्तुत सजरा खानदान में भी मॉ का नाम ''रामप्रसाद की वेवा'' लिखा है ।

अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण में यह तथ्य अवश्य आया है कि रामप्रसाद की एक रखेल थी - विचार योग्य है कि गोविन्दप्रसाद की पैदायश (केवल दैहिक सम्बन्ध बनाने तक सीमित) रखैल महिला के उदर से रामप्रसाद के बीर्यान्स से हुई है अथवा नहीं ? किसी अधिकारी ने जॉच कर निष्कर्ष नहीं दिया है। रखैल के पास पुत्र होना अलग तथ्य है और किसी व्यक्ति विशेष के बीर्यान्स से पुत्र होना अलग तथ्य है। जहां तक साक्ष्य का प्रश्न है - गोविन्दप्रसाद व्दारा तहसील न्यायालय में हुये कथन दिनांक 6-5-98 में बताया है कि उसे अपनी मॉ का नाम क्या था, मामा कौन है एंव नाना कौन थे पता नहीं है। इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश के पद 3 (2) में निष्कर्ष दिया है कि रखेल का पुत्र - पुत्र होने का आशय यह नहीं है कि वह रामप्रसाद की नश्ल (अनुवॉशिकी) से ही पैदा हुआ है अपितु इसका आशय यह है कि जिस औरत को रामप्रसाद ने रखा, उसके पहले से ही गोविन्द्रप्रसाद था। चूँकि मृतक रामप्रसाद ने दूसरी शादी नहीं की है यह तथ्य साक्ष्यिों के कथनों से प्रमाणित है और यह तथ्य वैसे भी सही प्रतीत होता है क्योंकि मृतक रामप्रसाद शासकीय सेवा में पटवारी थे, जो मूल नियम 22 से शासित होने के कारण द्वित्तीय विवाह नहीं कर सकते थे। द्वित्तीय विवाह के लिये विभाग की अनुमति का तथ्य भी गोविन्दप्रसाद ने प्रस्तुत नहीं किया है।

तहसील न्यायालय में ली गई मौखिक साक्ष्यिों के कथनों को देखा जाय - साक्षी रामप्रसाद ने बताया है कि मृतक खातेदार रामप्रसाद ग्राम अधरांड में पटवारी थे तथा निःसंतान फोत हुये हैं । गोविन्द्र प्रसाद कौन है वह नहीं जानता एंव किसका लड़का है यह भी नहीं जानता। अन्य ग्रामीण प्रभू लुहार जो रामप्रसाद के गॉव का रहने वाला है, ने कथन में बताया है कि मृतक रामप्रसाद का गोविन्दप्रसाद कौन लगता है वह नहीं जानता और वह यह भी नहीं जानता कि गोविन्द्रप्रसाद कहॉ का रहने वाला है। इन सभी तथ्यों से आभाषित है कि खातेदार रामप्रसाद बेओलाद मृत हुआ है।

5/ अपर आयुक्त सागर संभाग ने आदेश दिनांक 24–5–04 में निष्कर्ष दिया है कि " मृतक रामप्रसाद पटवारी था तथा उसकी पहली पत्नि से कोई ओलाद नहीं थी। साक्ष्य से यह भी पुष्टि होती है कि मृतक रामप्रसाद अपीलार्थी की मॉ के साथ कई वर्षो तक पति/पत्नि के रूप में रहा है जिससे अपीलार्थी उत्पन्न हुआ है "। अपर आयुक्त ने इसी निष्कर्ष के आगे यह भी अंकित कर स्वीकार किया है कि " यह सही है कि मृतक राम प्रसाद एंव अपीलार्थी की मां की विधिवत शादी नहीं हुई थी " और उन्होंने इसी आधार पर गोविन्दप्रसाद को मृतक रामप्रसाद का पुत्र होना मानते हुये नामान्तरण वावत् निष्कर्ष दे दिया, जबकि प्रकरण में आये दूसरे पहलू की ओर ध्यान न देते हुये जानबूझकर इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि साक्षियों के कथनों अनुसार प्रमाणित हुआ है कि गोविन्द्रप्रसाद की मॉ की शादी रामप्रसाद से नहीं हुई, अपितु जिस रखैल औरत (केवल दैहिक सम्बन्ध बनाने तक सीमित) को रामप्रसाद ने रखा, उसके पहले से ही गोविन्द्रप्रसाद पैदा हुआ पुत्र था।

यदि काल्पनिकरूप से गोविन्दप्रसाद को मृतक रामप्रसाद की रखैल का पुत्र माना जाय – हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 – शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता – टिप्पणी (4) इस प्रकार है –

" शून्य विवाह से उत्पन्न संतान का हक – पिता जिस संयुक्त परिवार की संपत्ति का सहदायिक (Coparcener) है उस संपत्ति में शून्य विवाह के संतान को हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। AIR 1977 बाम्बे, 191 हनुमंत लक्ष्मण थोरात एंव अन्य विरूद्व घोंघवा वाई हनमंत थोरात एंव अन्य "

इसी प्रकार श्री चन्द्रनाथ झा लेखक व्दारा अभिलिखित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 में वर्णित प्रावधानों को देखा जाय – अधिनियम की धारा 8 की टिप्पणी 73 इस प्रकार है –" अधर्मज पुत्र या पुत्री – पुरानी हिन्दू विधि में शूद्र के अधर्मज Illegitimeate पुत्र अिपने ख्यात पिता Putative Father की स्वअर्जित संपत्ति और खानदानी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकारी था किन्तु इस अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद शूद्र के भी अधर्मज पुत्र या पुत्री

अपने ख्यात पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकते। AIR 1979 बाम्बे 176 दद्दू आत्माराम पाटिल एंव अन्य विरूद्व रघुनाथ आत्माराम पाटिल एंव अन्य

इसी प्रकार टिप्पणी 82 इस प्रकार है – एक मॉ विभिन्न पिता के पुत्र – उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिये एक ही पिता के पुत्र भाई हैं और विभिन्न माताओं से पुत्रों के बीच भेद किया गया है परन्तु एक ही मॉ से किन्तु विभिन्न पिताओं से पुत्र यद्यपि एक ही गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं किन्तु अलग अलग परिवार के होते हैं इसलिये भाई शीर्षक के अंतर्गत वारिसों के वर्ग की श्रेणी से पूर्णतया प्रथक है।

AIR 1972 उड़ीसा 153 छिन्नू कारे एंव अन्य विरूद्व काता कारे एंव अन्य

जबकि प्रकरण में आई साक्ष्य से अनावेदक गोविन्द्रप्रसाद (अब मृतक) खातेदार रामप्रसाद का रक्तज पुत्र न होने का तथ्य एंव उसकी मृतक मॉ से रामप्रसाद के सम्बन्ध होने के पूर्व से उत्पन्न पुत्र का तथ्य आया है फलतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा तत्समबन्ध में निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत हैं, जबकि अपर आयुक्त,सागर संभाग, सागर व्दारा आदेश दिनांक 24–5–04 में एंव तहसीलदार गुनौर व्दारा आदेश दिनांक 12–5–200 में निकाले गये निष्कर्ष दूषित होना पाये गये है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर व्दारा प्रकरण कमांक 297/अ–6/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–5–2004 एंव तहसीलदार गुनौर व्दारा प्रकरण कमांक 27 अ–6/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 27–3–2000 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी, गुनौर जिला पन्ना व्दारा प्र0क0 25 अ–6/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 5–12–2000 विधिवत् होने से स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर